संलग्नक-8(96-114) (96)

उत्तर प्रदेश जेल विभाग तकनीकी और शैक्षणिक सेवा नियम, 1983[1]

भाग—I

सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(i) ये नियम उत्तर प्रदेश जेल विभाग तकनीकी और शैक्षणिक सेवा नियम, 1983 कहे जायेंगे।

(ii) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. सेवा का स्तर—उत्तर प्रदेश जेल विभाग तकनीकी और शैक्षणिक सेवा वर्ग 'स' और 'द' पदों में सम्मिलित है।

3. परिभाषाएँ—इन नियमों में जब तक कोई चीज विषय और सन्दर्भ के प्रतिकूल न हो—

(क) विभिन्न पदों के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी से तात्पर्य परिशिष्ट में प्रत्येक के विरुद्ध संकेतिक प्राधिकारी है;

(ख) 'भारत का नागरिक' से तात्पर्य व्यक्ति जो संविधान के भाग II के अधीन भारत का नागरिक है अथवा समझा जायेगा;

(ग) 'आयोग' से तात्पर्य लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से है;

(घ) 'संविधान' से तात्पर्य भारत के संविधान से है;

(ङ) 'सरकार' से तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

(च) 'राज्यपाल' से तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(छ) 'सेवा के सदस्य' से तात्पर्य व्यक्ति जो इन नियमों के अधीन अथवा इन नियमों के प्रारम्भ के पूर्व प्रवृत्त आदेशों के अधीन सेवा के संवर्ग के पदों के लिए मूल रूप से नियुक्त से है;

(ज) 'सेवा' से तात्पर्य उत्तर प्रदेश जेल विभाग तकनीकी और शैक्षणिक सेवा से है;

(झ) 'मूल नियुक्ति' से तात्पर्य नियुक्ति जो सेवा में संवर्ग के पदों पर तदर्थ रूप से नहीं की गयी है और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी है और यदि कोई नियम नहीं है तो सरकार द्वारा समय पर दिये गये प्रशासनिक निर्देशों के लिए विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी है;

(ञ) 'भर्ती के वर्ष' से तात्पर्य कैलेण्डर वर्ष के 1 जुलाई से बारह माह के अवधि से है।

भाग—II

संवर्ग

4. सेवा का संवर्ग—(1) सेवा की क्षमता और पदों के प्रत्येक वर्ग की क्षमता समय-समय सरकार के अभिनिश्चय के अनुसार होगी।

(2) सेवा की और पदों के प्रत्येक वर्ग की क्षमता उपनियम 1 के अधीन पारित किये गये आदेश के परिनर्तित होने तक परिशिष्ट के अनुसार होगी।

---

1. अधिसूचना संख्या 38741 XXII—83-1348—61 दिनांक 18-1-1984 दिनांक 18 जनवरी, 1984 के गजट में प्रकाशित।

परन्तु,

(i) नियुक्ति प्राधिकारी बिना भरे हुये (Unfilled) छोड़ सकेंगे अथवा राज्यपाल किसी व्यक्ति को प्रतिकर दिये बिना किसी खाली पद को प्रस्थगित कर सकेंगे।

(ii) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त, स्थायी अथवा अस्थायी पदों जैसा वह उचित समझते हों, सृजित कर सकेंगे।

भाग—III

भर्ती

5. भर्ती के स्रोत—सेवा में विभिन्न पदों की भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी—

भर्ती के स्रोत

1. मुख्य अध्यापक	...	स्थायी अध्यापकों में से प्रोन्नति द्वारा
2. अध्यापक	...	सीधे भर्ती द्वारा
3. ट्यूबवेल आपरेटर	...	"
4. पम्प मैकेनिक	...	"
5. एग्रीकल्चर सुपरवाइजर	...	"
6. अम्बर चर्खा इन्सट्रक्टर	...	"
7. इलेक्ट्रिक ड्राइवेनसीविंग मशीन मैकेनिक	...	"
8. टेलर मास्टर	...	"
9. टेलर	...	"
10. ड्राइंग इन्सट्रक्टर	...	"
11. पेरीपैटिक ड्राइंग इन्सट्रक्टर	...	"
12. वीविंग इन्सट्रक्टर	...	"
13. पेरीपेटिक वीविंग इन्सट्रक्टर	...	"
14. बैकेट वीविंग मास्टर	...	"
15. पेरीपेटिक ड्यूटी इन्सट्रक्टर	...	"
16. कारपेण्टरी इन्सट्रक्टर	...	"
17. ब्लैक स्मिथी इन्सट्रक्टर	...	"
18. लेदर वर्क मास्टर	...	"
19. आयल मिल मैकेनिक	...	"
20. फोरमैन टेन्ट फैक्ट्री	...	"
21. मोटर ड्राइवर		
(i) भारी वाहन	...	"

	(ii) हल्के वाहन	...	"
22.	लैकुअर वर्क इन्सट्रक्टर	...	"
23.	फोरमैन ट्रैक्टर वर्कशाप	...	"
24.	पोलिशर	...	"
25.	बैन्ड मास्टर	...	"
26.	पी॰ टी॰ इन्सट्रक्टर	...	शिक्षा विभाग से स्थानान्तरण द्वारा और यदि कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो सीधे भर्ती द्वारा
27.	लाइब्रेरियन	...	सीधे भर्ती द्वारा
28.	केनइन्सट्रक्टर	...	सीधे भर्ती द्वारा
29.	ट्रैक्टर मैकेनिक श्रेणी-I	...	ट्रैक्टर मैकेनिक श्रेणी-II में से प्रोन्नति द्वारा
30.	ट्रैक्टर मैकेनिक श्रेणी-II	...	सीधे भर्ती द्वारा
31.	कृषि निरीक्षक श्रेणी-I	...	कृषि निरीक्षक श्रेणी-II के पद पर 5 वर्ष का अनुभव रखने वाले में से प्रोन्नति द्वारा
32.	कृषि निरीक्षक श्रेणी-II	...	कम से कम 5 वर्ष का अनुभव रखने वाले एग्रीकल्चर सुपर वाइजरों में से प्रोन्नति द्वारा
33.	टेलरिंग निटिंग इन्सट्रक्टर	...	सीधे भर्ती द्वारा
34.	कार्पेट वीविंग इन्सट्रक्टर	...	"
35.	जनरल मैकेनिक	...	"
36.	टेलीफोन आपरेटर	...	"
37.	स्टेवार्ड	...	"
38.	बैण्ड सा (Saw) इन्सट्रक्टर	...	"
39.	पावरलूम मैकेनिक	...	"
40.	पेरीपेटिक मैकेनिक कम सुपरवाइजर फ्लोर मिल	...	"
41.	वूल स्पीनिंग मास्टर	...	"
42.	स्पीनिंग मास्टर	...	"
43.	मशीन इन्सट्रक्टर	...	"
44.	अम्बर वीविंग इन्सट्रक्टर	...	"
45.	हैण्ड मेड पेपर इन्सट्रक्टर	...	"

46. ट्रैक्टर ड्राइवर	...	"
47. सोप और फिनायल इन्सट्रक्टर	...	"
48. प्लम्बरिंग इन्सट्रक्टर	...	"
49. खेल सामानें इन्सट्रक्टर	...	"
50. ब्लीचिंग, ड्राइंग और कैलिक पेरिएटिंग शिक्षक	...	"
51. पेन्सिल मेकिंग इन्सट्रक्टर	...	"
52. फार्म क्लर्क	...	"
53. सफाई निरीक्षक	...	"
54. मैकेनिक कम सुपरवाइजर	...	"
55. विक्रक्लीन इन्सट्रक्टर	...	"

6. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय सरकार के आदेशों के अनुसार होगा।

भाग—IV
अर्हतायें

7. राष्ट्रीयता—सेवा में पदों की भर्ती के लिए अभ्यर्थी आवश्यक रूप—

(क) भारत का नागरिक हो;

(ख) तिब्बती प्रवासी जो 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत में स्थायी रूप से व्यवस्थित होने के लिए भारत आया हो;

(ग) भारत में पैदा हुआ व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका अथवा केन्या, यूगाण्डा और संयुक्त प्रान्त तन्जानिया (औपचारिक रूप से तन्गानिया और जन्जीबार) के पूर्वी अफ्रीकन देशों से स्थायी रूप से व्यवस्थित होने के लिए भारत आयेंगे।

परन्तु वर्ग ख' और 'ग' वर्ग के व्यक्ति ऐसे व्यक्ति होने चाहिये जिनके पक्ष में योग्यता प्रमाण-पत्र राज्य सरकार द्वारा दिया गया हो।

परन्तु 'ख' वर्ग के अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे उत्तर प्रदेश असूचना विभाग में पुलिस के महानिरीक्षक द्वारा दिया गया योग्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त करें।

परन्तु यदि 'ग' वर्ग के अभ्यर्थियों को एक वर्ष से अधिक अवधि के योग्यता प्रमाण-पत्र नहीं दिया जायेगा और ऐसे व्यक्ति द्वारा एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए सेवा का प्रतिधारण भारतीय नागरिकता अर्जित करने का विषय होगी।

टिप्पणी—अभ्यर्थी जिसके मामले में योग्यता प्रमाण-पत्र आवश्यक है, लेकिन न तो दिया गया है और न इन्कार किया गया है किसी परीक्षा अथवा साक्षात्कार में अनुज्ञात किया जा सकेगा और वह उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त करने अथवा उसके पक्ष में दिये जाने के विषय के लिए अन्तिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा।

8. शैक्षणिक अर्हतायें—सेवा में विभिन्न पदों में सीधे भर्ती के लिए अभ्यर्थी निम्न अर्हताओं से युक्त होना चाहिये—

2. अध्यापक—(i) हाईस्कूल परीक्षा, हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट बोर्ड से उत्तीर्ण होना चाहिये अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।

(ii) बेसिक शिक्षण का प्रमाण हो।

(iii) देवनागरी लिपि हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान होना चाहिये।

3. ट्यूबवेल आपरेटर—हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट परीक्षा शिक्षा बोर्ड से हाईस्कूल परीक्षा अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।

4. पम्प मैकेनिक—हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट शिक्षा बोर्ड से हाईस्कूल परीक्षा अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा कम से कम 2 वर्ष के अनुभव सहित उत्तीर्ण होना चाहिये।

5. एग्रीकल्चर सुपरवाइजर—(i) हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट बोर्ड की (कृषि) की इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इसके समकक्ष परीक्षा अथवा डिप्लोमा सहित हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।

(ii) देवनागरी लिपि में हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान अवश्य होना चाहिये।

6. अम्बर चर्खा शिक्षक (Instructor) (i) आई०टी०आई० प्रमाण-पत्र अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष प्रमाण-पत्र निम्न वेतनमान के मामले काम-काज के अनुभव सहित।

(ii) कारबार में अनुभव रखने वाले अथवा उसके समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले व्यक्ति उच्च वेतनमान के हकदार होंगे।

7. इलेक्ट्रिक ड्राइवेन सीविंग मशीन मैकेनिक —(i) निम्न वेतनमान के मामले में कम से कम तीन वर्ष का अभ्यासिक अनुभव।

(ii) मान्यता प्राप्त संस्था से कारबार के बारे में डिप्लोमा रखने वाले व्यक्ति अथवा जिन्होंने सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है, उच्च वेतनमान के हकदार होंगे।

8. टेलर मास्टर—मान्यता प्राप्त संस्था से टेलरिंग में डिप्लोमा और तीन वर्ष का अभ्यासिक ज्ञान।

9. टेलर—कारबार का कम से कम तीन वर्ष का प्रायोगिक अनुभव।

10. ड्राइंग इन्सट्रक्टर—(i) कम से कम तीन वर्ष का कारबार का प्रायोगिक अनुभव।

(ii) मान्यता प्राप्त संस्था से ड्राइंग का डिप्लोमा रखने वाले व्यक्ति अथवा जिन्होंने सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या उसकेसमकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है, उच्च वेतनमान के हकदार होंगे।

11. पेरीपेटिक ड्राइंग इन्सट्रक्टर—मान्यता प्राप्त संस्था से ड्राइंग में डिप्लोमा अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।

12. वीविंग इन्सट्रक्टर—(i) आई०टी०आई० प्रमाण-पत्र अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा निम्न वेतनमान के मामले के कारबार के अनुभव के सहित उत्तीर्ण हो।

(ii) वीविंग में डिप्लोमा धारण करने वाले व्यक्ति अथवा जिन्होंने सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है उच्च वेतनमान के हकदार होंगे।

13. पेरीपेटिक वीविंग इन्स्ट्रक्टर—(i) आई०टी०आई० प्रमाण-पत्र अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा निम्न वेतनमान के मामले में उत्तीर्ण हो।

(ii) मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था से डिप्लोमा धारण करने वाले व्यक्ति अथवा जिन्होंने सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है, उच्च वेतनमान के हकदार होंगे।

24. पोलिशर—आई०टी०आई० प्रमाण-पत्र अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष प्रमाण-पत्र अथवा कम से कम तीन वर्ष का कारावास का अनुभव।

25. बैण्ड मास्टर—बैण्ड की कला में पूर्ण रूप से प्रशिक्षित हो, इस कला में शिक्षण का कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो।

26. पी० टी० इन्सट्रक्टर—(i) हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट शिक्षा बोर्ड से इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।

(ii) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से शारीरिक प्रशिक्षण में डिप्लोमा।

27. लाइब्रेरियन—लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा अथवा प्रमाण-पत्र हो।

28. केन इन्सट्रक्टर—(i) निम्न वेतनमान के मामले में आई०टी०आई० प्रमाण-पत्र अथवा इसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाण-पत्र।

(ii) मान्यता प्राप्त संस्था से केन के कार्य में डिप्लोमा धारण करने वाले व्यक्ति अथवा इसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले व्यक्ति उच्च वेतनमान के हकदार होंगे।

32. ट्रैक्टर मैकेनिक श्रेणी II—(i) हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट शिक्षा बोर्ड की इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण हो अथवा इसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता परीक्षा उत्तीर्ण हो।

(ii) मैकेनिकल में डिप्लोमा अथवा प्रमाण-पत्र दो वर्ष के अनुभव सहित आटोमोबाइल इन्जीनियरिंग जिसमें से कम से कम एक वर्ष का ट्रैक्टर रिपेयर वर्कशाप में होना चाहिये।

33 टेलरिंग निटिंग इन्सट्रक्टर—आई०टी०आई० प्रमाण-पत्र अथवा उसके समकक्ष प्रमाण-पत्र अथवा कम से कम पांच वर्ष के कार्य का अनुभव।

34. कार्पेट वीविंग इन्सट्रक्टर—कार्पेट वीविंग में डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र अथवा कारबार का कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव।

35. जनरल मैकेनिक—(i) हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट शिक्षा बोर्ड से हाईस्कूल परीक्षा अथवा इसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण हो।

(ii) मैकेनिकल कार्य में डिप्लोमा अथवा प्रमाण-पत्र अथवा इसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाण-पत्र।

36. टेलीफोन आपरेटर—(i) हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट बोर्ड से इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा इसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण हो।

(ii) हिन्दी और अंग्रेजी बोलने का अच्छा ज्ञान हो।

37. स्टेवार्ड—(i) हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट शिक्षा बोर्ड द्वारा इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा इसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण हो।

(ii) स्टोर के व्यवस्थापन के ज्ञान सहित किसी संस्था अथवा अस्पताल में Catering का पांच वर्ष का अनुभव।

38. बैण्ड सा (Saw) इन्सट्रक्टर—आई०टी०आई० प्रमाण-पत्र अथवा उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाण-पत्र अथवा कारबार का कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव।

39. पावरलूम मैकेनिक—(i) टेक्सटाइल टक्नोलॉजी अथवा पावरलूम वीविंग में डिप्लोमा अथवा प्रमाण-पत्र।

(ii) पावरलूम वीविंग में कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव।

टिप्पणी—कारबार में कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव रखने वाले और जाँच के पश्चात् पावरलूम के व्यवस्थापन और संक्रिया में दक्षता दर्शित करने वाले अभ्यर्थी को उपरोक्त अर्हता से छूट दी जा सकेगी।

(iii) देवनागरी लिपि हिन्दी में कार्यकारी ज्ञान।

40. पेरीपेटिक मैकेनिक-कम-फ्लोर मिल सुपरवाइजर—(i) मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा 8 की परीक्षा अथवा उत्तर प्रदेश की जूनियर हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण हो।

(ii) मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा अथवा प्रमाण-पत्र अथवा इलेक्ट्रिक सुपरवाइजर और इलेक्ट्रिक सुपर विजन और इलेक्ट्रिक ड्राइवेन फ्लोर मिल का प्रायोगिक अनुभव।

41. वूल स्पीनिंग मास्टर—मान्यता प्राप्त संस्था से वूल स्पीनिंग में डिप्लोमा और तीन वर्ष का प्रायोगिक अनुभव।

42. स्पीनिंग मास्टर—(i) कम से कम तीन वर्ष का कारबार का अनुभव।

(ii) मान्यता प्राप्त संस्था से स्पीनिंग टेक्सटाइल का डिप्लोमा धारण करने वाला व्यक्ति और कम से कम तीन वर्ष का प्रायोगिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति उच्च वेतनमान के हकदार होंगे।

43. मशीन इन्सट्रक्टर—(i) हाईस्कूल और इण्टरमीडिट शिक्षा बोर्ड से हाईस्कूल परीक्षा अथवा इसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण हो।

(ii) आई०टी०आई० और सी०टी०आई० रोमशीनिष्ट ट्रेड में दो वर्ष का प्रशिक्षण।

44. अम्बर वीविंग इन्सट्रक्टर—(i) हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट शिक्षा बोर्ड द्वारा हाईस्कूल परीक्षा अथवा इसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण हो।

(ii) मान्यता प्राप्त संस्था से अम्बर वीविंग में डिप्लोमा धारण करने वाले व्यक्ति उच्च वेतनमान के हकदार होंगे, परन्तु यदि इस अर्हता के व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं तो नियुक्ति निम्न अर्हता रखने वाले व्यक्तियों में से की जायेगी—

(i) हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट शिक्षा बोर्ड द्वारा हाईस्कूल परीक्षा अथवा इसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण हो।

(ii) अम्बर वीविंग में आई०टी०आई० प्रमाण-पत्र अथवा कारबार के अनुभव सहित समकक्ष प्रमाण-पत्र।

45. हैण्ड मेड पेपर इन्सट्रक्टर—हैण्ड मेकिंग पेपर में आई०टी०आई० प्रमाण-पत्र अथवा इसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाण-पत्र अथवा कम से कम तीन वर्ष का कारबार का अनुभव।

46. ट्रैक्टर ड्राइवर—(i) ट्रैक्टर ड्राइविंग के कार्य में पूर्णतया प्रशिक्षित।

(ii) ट्रैक्टर के लिए चालन की अनुज्ञप्ति हो।

(iii) ट्रैक्टर चालन के कार्य में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव।

47. सोप (Soap) और फिनायल इन्सट्रक्टर—मान्यता प्राप्त संस्था से सोप और फिनायल में डिप्लोमा और कम से कम तीन वर्ष का प्रायोगिक अनुभव।

48. प्लम्बरिंग इन्सट्रक्टर—मान्यता प्राप्त संस्था से प्लम्बरिंग में डिप्लोमा और कम से कम तीन वर्ष का प्रायोगिक अनुभव।

49. खेल सामानों (Sport Goods) इन्सट्रक्टर—मान्यता प्राप्त संस्था से खेल सामानों के बनाने का डिप्लोमा और कम से कम तीन वर्ष का प्रायोगिक अनुभव।

50. ब्लीचिंग, डाइंग और कैलिको प्रिंटिंग इन्सट्रक्टर—डाइंग, ब्लीचिंग और कैलिको प्रिंटिंग में मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा और कम से कम तीन वर्ष का प्रायोगिक अनुभव।

51. पेन्सिल मेकिंग इन्सट्रक्टर—मान्यता प्राप्त संस्था में पेन्सिल मेकिंग में डिप्लोमा और कम से कम तीन वर्ष का प्रायोगिक अनुभव।

52. फार्म क्लर्क—(i) हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट शिक्षा बोर्ड से इण्टरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण हो।

(ii) कृषि संक्रिया का कम से कम तीन वर्ष का प्रायोगिक अनुभव।

(iii) देवनागरी लिपि में हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान।

53. सफाई निरीक्षक—(i) हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट शिक्षा बोर्ड से इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा इसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण हो।

(ii) सफाई निरीक्षक के लिए विहित प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।

54. मैकेनिक कम सुपरवाइजर—(i) हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट शिक्षा बोर्ड से हाईस्कूल परीक्षा अथवा इसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण हो।

(ii) मैकेनिक कार्य में डिप्लोमा अथवा प्रमाण-पत्र अथवा इसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाण-पत्र।

55. चिककलीन इन्सट्रक्टर—(i) हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट शिक्षा बोर्ड से हाईस्कूल परीक्षा अथवा इसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण हो।

(ii) कारबार का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव।

9. शैक्षणिक अर्हतायें—(i) अभ्यर्थी जिन्होंने दो वर्षों की अधिकतम अवधि के टेरीटोरियल आर्मी में सेवा की है; अथवा

(ii) राष्ट्रीय कैडेट कोर से 'ब' वर्ग प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है अथवा इसके समकक्ष अन्य कोई चीज है सीधे भर्ती के मामलों में अधिमान्यता दी जायेगी।

10. आयु—टैण्ट फैक्ट्री फोरमैन के पद की सीधे भर्ती जिस वर्ष की जाती है उस वर्ष की 1 जनवरी को अभ्यर्थी 25 वर्ष की आयु प्राप्त किया हो और 35 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न किया हो और अन्य पदों की सीधे भर्ती के लिये 21 वर्ष की आयु प्राप्त किया हो और 30 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न किया हो, यदि पदों का विज्ञापन 1 जनवरी से 30 जून के बीच और 1 जुलाई को और यदि विज्ञापन 1 जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में किया गया हो।

परन्तु अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य वर्गों के अभ्यर्थी की अधिकतम आयु सीमा समय-समय पर अधिसूचित की जा सकने वाली वर्षों की ऐसी संख्या में अधिक होगी।

11. सेवा में पदों की सीधे भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र सरकारी सेवा में नियोजन के लिए उपयुक्त होना चाहिये। नियुक्ति प्राधिकारी इस बिन्दु पर अपने को सन्तुष्ट करेंगे।

टिप्पणी—केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी अथवा कार्पोरेशन अथवा स्वशासित अथवा केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा शासित निकाय द्वारा पदच्युत किये व्यक्ति सेवा में पदों की नियुक्ति के लिए अयोग्य होंगे। नैतिक अपराधों के लिए दोषसिद्ध किये गये व्यक्ति भी नियुक्ति के अयोग्य होंगे।

12. वैवाहिक स्तर—पुरुष अभ्यर्थी जिनके एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं और महिला अभ्यर्थिनी जो एक जीवित रखने वाले पुरुष से विवाह करती हैं, नियुक्ति के अयोग्य होंगे।

परन्तु गवर्नर यदि सन्तुष्ट है कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार उपलब्ध है तो इन नियमों के लागू होने से किसी व्यक्ति को छूट दे सकेंगे।

13. शारीरिक उपयुक्तता—कोई भी अभ्यर्थी जब तक कि वह अच्छी मानसिकता और शारीरिक स्वास्थ्य और उसके कर्त्तव्य पालन की दक्षता में हस्तक्षेप करने वाले दोषों से मुक्त न हो नियुक्त नहीं किया जायेगा। नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे अपेक्षा की जाती है कि वह वित्तीय हस्त-पुस्तिका के वाल्यूम II के भाग III के अध्याय III में अन्तर्विष्ट मौलिक नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार उपयुक्तता का चिकित्सीय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।

परन्तु प्रोन्नति द्वारा भर्ती के लिए अभ्यर्थी से उपयुक्तता का चिकित्सीय प्रमाण-पत्र अपेक्षित नहीं है।

भाग—V

भर्ती के लिए प्रक्रिया

14. रिक्तियों का अभिनिश्चयन—नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित संख्या भी नियम 6 के अधीन अभिनिश्चित करेंगे। वह सीधे भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों को नियोजन कार्यालय को सूचित करेंगे। नियोजन कार्यालय से भर्ती के लिए अपेक्षित अभ्यर्थी न मिलने की दशा में आवेदन समाचारों में विज्ञापन द्वारा आमंत्रित किये जायेंगे।

15. सीधे भर्ती के लिए प्रक्रिया—(1) सीधे भर्ती के लिए एक चयन समिति निम्न को समाविष्ट करते हुए गठित की जायेगी—

(i) नियुक्ति प्राधिकारी—अध्यक्ष;

(ii) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामांकित केन्द्रीय कारागार के अधीक्षक से अनिम्न दो अन्य अधिकारी।

(2) चयन समिति आवेदनों की जाँच करेगी और अपेक्षित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करेगी।

(3) चयन समिति साक्षात्कार के प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये प्रकटित अंक के द्वारा उनके अधिमानता क्रम में अभ्यर्थियों की सूची बनायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर अंक प्राप्त करते हैं तो चयन समिति उनके नाम सेवा के लिए उनकी उपयुक्तता के आधार पर व्यवस्थित करेगी। सूची में नामों की संख्या अधिक होगी (लेकिन संख्या रिक्तियों की भी संख्या के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी)।

16. प्रोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया—(1) प्रोन्नति द्वारा भर्ती वरिष्ठता के आधार पर नियम 15 के अधीन गठित चयन समिति द्वारा की जायेगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी वरिष्ठता के क्रम में अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेंगे और चरित्र पंजिका के साथ और उचित समझे जाने वाले अन्य अभिलेखों के सहित चयन समिति के समक्ष रखेंगे।

(3) चयन समिति नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेख के आधार पर अभ्यर्थी के मामले पर विचार करेगी और यदि आवश्यक समझेगी तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकेगी।

(4) चयन समिति वरिष्ठता के क्रम में व्यवस्थित चयनित अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगी।

भाग—VI

नियुक्ति प्रोबेशन, पुष्टिकरण, वरिष्ठता

17. नियुक्ति—(1) नियुक्ति प्राधिकारी नियम 15 अथवा 16 के अधीन तैयार की गयी सूची के क्रम में अभ्यर्थियों का नाम लेते हुये नियुक्ति करेंगे।

(2) यदि नियुक्ति के एक से अधिक आदेश एक चयन के सम्बन्ध में दिये गये हैं तो एक संयुक्त आदेश चयन के अभिनिश्चित वरिष्ठता के क्रम में व्यक्तियों के नामों को अन्तर्विष्ट करते हुये अथवा मामले के अनुसार संवर्ग जिसमें से वे प्रोन्नति किये गये थे, रखते हुये एक संयुक्त आदेश भी दिया जायेगा।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी नियम (1) में निर्दिष्ट सूची में से अस्थायी अथवा स्थानापन्न नियुक्ति कर सकेंगे। यदि सूची में कोई उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं है तो वे इन नियमों के अधीन योग्य व्यक्तियों में ऐसी नियुक्तियाँ कर सकेंगे। ऐसी नियुक्तियां एक वर्ष से अधिक अवधि और अगले चयन से परे जो भी पहले हो, के लिए नहीं की जायेगी।

18. प्रोबेशन—(1) पद, सेवा, स्थायी रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त किये गये व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए प्रोबेशन पर रखे गये जायेंगे।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभिलिखित किये गये कारणों के लिए व्यक्तिगत मामलों में विस्तार किये जाने की तिथि से प्रोबेशन की अवधि बढ़ा सकेंगे। परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय प्रोबेशन की अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी दशा में दो वर्ष से अधिक बढ़ायी नहीं जायेगी।

(3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को प्रोबेशन की अवधि के दौरान अथवा प्रोबेशन की अवधि की समाप्ति पर अथवा विस्तारित प्रोबेशन की अवधि के दौरान प्रोबेशन अपने अवसर का पर्याप्त प्रयोग करने में असफल रहता है अथवा अन्यथा संतुष्टि प्रदान करने में असफल रहता है तो वह मूलपद से प्रतिस्थापित किया जा सकेगा और यदि वह धारणा नहीं रखता है तो उसे सेवा से अभिमुक्ति दी जा सकेगी।

(4) प्रोबेशनर जो कि प्रतिस्थापित किया गया है और जिसकी सेवा अभिमुक्ति दी गयी है नियम (3) के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी लगातार सेवा, स्थानापन्न अथवा अस्थायी क्षमता में पदों अथवा इसके समकक्ष अथवा उच्च पद पर प्रोबेशन की अवधि की गणना के प्रयोजन के नियुक्त कर सकेंगे।

पुष्टिकरण—प्रोबेशनर प्रोबेशन की अवधि अथवा विस्तारित प्रोबेशन की अवधि पर यदि—

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक अभिलिखित किया जाता है;

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित है; और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी पुष्टिकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त समझते हैं तो पुष्टिकृत किया जायेगा।

20. वरिष्ठता—एतस्मिन पश्चात उपबन्धित के सिवाय पद के किसी वर्ग के व्यक्ति की वरिष्ठता मूल नियुक्ति के आदेश की तिथि से और यदि एक से अधिक व्यक्ति साथ-साथ नियुक्त है तो नियुक्ति के आदेश में व्यवस्थित क्रम में अभिनिश्चित की जायेगी।

परन्तु यदि नियुक्ति का आदेश पिछली विशिष्ट तिथि जिससे व्यक्ति मूल रूप से नियुक्त है, में विनिर्दिष्ट है तो वह तिथि मूल नियुक्ति के आदेश की तिथि होगी और अन्य मामलों में यह आदेश दिये जाने की तिथि होगी, परन्तु यह कि यदि एक से अधिक आदेश किसी एक चयन के सम्बन्ध में दिये गये हैं तो वरिष्ठता नियम 17 की उपधारा (2) के अधीन दिये गये संयुक्त आदेश में अन्तर्विष्ट होगी, के अनुसार होगी।

(2) सीधे नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता चयन समिति द्वारा अभिनिश्चित किसी एक चयन के परिणाम पर होगी। परन्तु सीधे भर्ती किये गये अभ्यर्थी यदि बिना वैध कारण के ज्वाइन (Join) करने में असफल रहने पर अपनी वरिष्ठता खो सकेंगे। वैध कारण के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(3) प्रोन्नति द्वारा भर्ती किये गये व्यक्ति की वरिष्ठता प्रोन्नति किये गये संवर्ग के समान होगी।

भाग—VII

वेतन आदि

21. (1) पदों के विभिन्न वर्गों में नियुक्त व्यक्तियों का वेतन चाहे मूलपद अथवा स्थानापन्न अथवा अस्थायी पद हो समय-समय पर सरकार द्वारा अभिनिश्चित किया जायेगा।

(2) इन नियमों के प्रारम्भ के समय वेतन का मापदण्ड निम्न प्रकार दिया गया है—

पद का नाम	वेतन का मापदण्ड
1	2
1. हेड टीचर (मुख्य अध्यापक)	400-10-470-ई० बी०-10-500-15-500 ई० बी० 15-620।
2. टीचर (अध्यापक)	(1) 365-8-405-10-420-ई० बी०-10-485-ई० बी०-10-495-12-555-हाईस्कूल और प्रशिक्षित के लिए।
	(2) 350-6-380-8-396-ई० बी०-8-444-एल० वी० 8-8-460-10-500-नान मैट्रिक और प्रशिक्षित के लिए।
	(3) अप्रशिक्षितों के लिए 335 रु० निश्चित।
3. ट्यूबवेल आपरेटर	315-6-351-ई० बी०-6-363-7-384-8-400-ई० बी०-8-440।
4. पम्प मैकेनिक	400-10-450-12-474-ई० बी०-12-570-ई० बी०-15-615।
5. कृषि सुपरवाइजर	400-10-450-12-474-ई० बी०-12-570-ई० बी०-15-615।
6. अम्बर चर्खा इन्सट्रक्टर	(1) 430-12-490-15-520-ई० बी०-15-640-ई० बी०-15-685 उनके लिए जो हाईस्कूल पास है और जिसके पास डिप्लोमा है अथवा उसके समकक्ष कारावास का प्रमाण-पत्र है।
	(2) 354-10-424-ई० बी०-10-454-ई० बी०-12-550 उनके लिए जो आई०टी०आई० और कारबार का अनुभव रखते हैं।

1	2
7. इलेक्ट्रिक ड्राइवेन सॉविंग मशीन	(1) 430-12-490-15-520-ई० बी०-15-640-ई० बी०-15-685 उनके लिए जिनके पास डिप्लोमा अथवा समकक्ष कारबार का प्रमाण-पत्र है। (2) 354-10-424-ई० बी०-10-454-12-514-ई० बी०-12-550-शेष के लिए।
8. टेलर मास्टर	354-10-424-ई० बी०-10-454-12-514-ई० बी० -12-550।
9. टेलर	315-6-351-ई० बी०-6-363-7-384-8-400-ई० बी०-8-440।
10. ड्राइंग इन्सट्रक्टर	(1) 430-12-490-15-520-ई० बी०-15-640-ई० बी०-15-685 उनके लिए जिनके पास डिप्लोमा कारबार का अथवा समकक्ष प्रमाण-पत्र है। (2) 400-10-450-12-474-ई० बी०-12-570-ई० बी०-15-615 शेष के लिए।
11. पेरीपेटिक इन्सट्रक्टर	354-10-424-ई० बी०-10-454-12-514-ई० बी० -12-550।
12. वीविंग इन्सट्रक्टर	(1) 430-12-490-15-520-ई० बी०-15-640-ई० बी०-15-685-डिप्लोमा अथवा कारबार का समकक्ष प्रमाण-पत्र रखने वालों के लिए। (2) 354-10-424-ई० बी०-10-454-12-514-ई० बी० -12-550-आई०टी०आई० अथवा कारावास के अनुभव सहित समकक्ष प्रमाण-पत्र धारण करने वालों के लिए
13. पेरीपेटिक वीविंग इन्सट्रक्टर	(1) 430-12-490-15-520-ई० बी०-15-640-ई० बी०-15-685-डिप्लोमा अथवा समकक्ष प्रमाण-पत्र रखने वालों के लिए। (2) 354-10-424-ई० बी० -10-454-12-514-ई० बी० -12-550-आई०टी०आई० अथवा कारबार के अनुभव सहित समकक्ष प्रमाण-पत्र धारण करने वालों के लिए।
14. ब्लैंकेट वीविंग मास्टर	(1) 430-12-490-15-520-ई० बी०-15-640-ई० बी०-15-685-डिप्लोमा अथवा समकक्ष प्रमाण-पत्र धारकों के लिए। (2) 354-10-424-ई० बी०-10-454-12-514-ई० बी० -12-550-आई०टी०आई० और कारबार के अनुभव सहित समकक्ष प्रमाण-पत्र धारकों के लिए।

(109)

1	2
15. पेरीपेटिक ड्यूटी इन्सट्रक्टर	354-10-424-ई० बी०-10-454-12-514-ई० बी० -12-550
16. कारपेन्टरी इन्सट्रक्टर	(1) 430-12-490-15-520-ई० बी०-15-640-ई० बी०-15-685-डिप्लोमा अथवा कारबार में आई०टी०आई० प्रशिक्षण सहित हाईस्कूल के लिए। (2) 354-10-424-ई० बी०-10-454-12-514-ई० बी० -12-550 शेष के लिए।
17. ब्लैक स्मिथी इन्सट्रक्टर	(1) 400-10-450-12-474-ई० बी०-12-570-ई० बी०-15-615 कारबार में डिप्लोमा धारकों के लिए। (2) 354-10-424-ई० बी०-10-454-12-570-ई० बी० -15-615 कारबार में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव रखने वालों के लिए।
18. लेदर वर्क इन्सट्रक्टर	(1) 400-10-450-12-474-ई० बी०-12-570-ई० बी०-15-615 कारबार में डिप्लोमा धारकों के लिए। (2) 354-10-424-ई० बी०-10-454-12-514-ई० बी० -12-550 कारबार में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव रखने वालों के लिए।
19. आयल मिल मैकेनिक	400-10-450-12-474-ई० बी०-12-570-ई० बी०-15-615
20. फोरमैन टेण्ट फैक्ट्री	515-15-590-18-626-ई० बी०-18-680-20-780-ई० बी० 20-860।
21. मोटर ड्राइवर	330-7-365-8-381-ई० बी०-8-405-9-450-ई० बी०-9-495-भारी और हल्के दोनों वाहनों के ड्राइवर के लिए।
22. लैकुअर वर्क इन्सट्रक्टर	354-10-424-ई० बी०-10-454-12-514-ई० बी० -12-550।
23. फोरमैन ट्रैक्टर वर्कशाप	625-30-835-ई० बी०-30-925-35-1065-ई० बी०-35-1240।
24. पोलिशर	354-10-424-ई० बी०-10-454-12-514-ई० बी० -12-550।
25. बैण्ड मास्टर	354-10-424-ई० बी०-10-454-12-514-ई० बी० -12-550।
26. पी० टी० इनसट्रक्टर	430-12-490-15-520-ई० बी०-15-640-ई० बी०-15-685।
27. लाइब्रेरियन	470-15-575-ई० बी०-15-650-17-701-ई० बी०-17-735।

1	2
28. केनइन्सट्रक्टर	(1) 400-10-450-12-474-ई० बी०-12-570-ई० बी०-15-615 डिप्लोमा और समकक्ष प्रमाण-पत्र धारकों के लिए।
	(2) 354-10-424-ई० बी०-10-454-12-514-ई० बी० -12-550 आई०टी०आई० और समकक्ष कारबार प्रमाण-पत्र धारकों के लिए
29. ट्रैक्टर मैकेनिक श्रेणी I	515-15-590-18-626-ई० बी०-18-680-20-780-ई० बी० 20-860।
30. ट्रैक्टर मैकेनिक श्रेणी II	(1) 430-12-490-15-520-ई० बी० 15-640-ई० बी०-15-685-डिप्लोमा और समकक्ष प्रमाण-पत्र धारकों के लिए।
	(2) 400-10-450-12-474-ई० बी०-12-570-ई० बी०-15-615 शेष के लिए।
31. कृषि निरीक्षक श्रेणी-I	570-25-770-ई० बी०-30-980-ई० बी० 30-1100।
32. कृषि निरीक्षक श्रेणी-II	470-15-575-ई० बी०-15-650-17-701-ई० बी०-17-735।
33. टेलरिंग निटिंग इन्सट्रक्टर	354-10-424-ई० बी०-10-454-12-514-ई० बी० -12-550।
34. कार्पेट वीविंग इन्सट्रक्टर	354-10-424-ई० बी०-10-454-12-514-ई० बी० -12-550।
35. जनरल मैकेनिक	354-10-424-ई० बी०-10-454-12-514-ई० बी० -12-550।
36. टेलीफोन आपरेटर	354-10-424-ई० बी०-10-454-12-514-ई० बी० -12-550।
37. स्टेवार्ड	354-10-424-ई० बी०-10-454-12-514-ई० बी० -12-550।
38. बैण्ड साइन्सट्रक्टर	354-10-424-ई० बी०-10-454-12-514-ई० बी० -12-550।
39. पावरलूम मैकेनिक	400-10-450-12-474-ई० बी०-12-570-ई० बी०-15-615।
40. पेरीपेटिक मैकेनिक कम-फ्लोरमिल सुपरवाइजर	400-10-450-12-474-ई० बी०-12-570-ई० बी०-15-615।
41. वूल स्पीनिंग मास्टर	354-10-424-ई० बी०-10-454-12-514-ई० बी० -12-550।

1	2
42. स्पीनिंग मास्टर	(1) 430-12-490-15-520-ई० बी०-15-640-ई० बी०-15-685 केवल डिप्लोमा धारकों के लिए।
	(2) 354-10-424-ई० बी०-10-454-12-514-ई० बी० -12-550 शेष के लिए।
43. मशीन इन्सट्रक्टर	470-15-475-ई० बी०-15-650-17-701-ई० बी०-17-735।
44. अम्बर वीविंग इन्सट्रक्टर	(1) 430-12-490-15-520-ई० बी०-15-640-ई० बी०-15-685 हाईस्कूल और डिप्लोमा धारकों के लिए।
	(2) 400-10-450-12-474-ई० बी०-12-570-ई० बी०-15-615 हाईस्कूल और आई०टी०आई० प्रशिक्षितों के लिए।
	(3) 354-10-424-ई० बी०-10-454-12-514-ई० बी० -12-550 आई०टी०आई० के धारकों के लिए।
45. हैण्डमेड पेपर इन्सट्रक्टर	470-15-575-ई० बी०-15-650-17-701-ई० बी०-17-735।
46. ट्रैक्टर ड्राइवर	330-7-365-8-381-ई० बी०-8-405-9-450-ई० बी०-9-495।
47. सोप और फिनायल इन्सट्रक्टर	470-15-575-ई० बी०-15-650-17-701-ई० बी०-17-735।
48. प्लम्बरिंग इन्सट्रक्टर	470-15-575-ई० बी०-15-650-17-701-ई० बी०-17-735।
49. स्पोर्ट गुड इन्सट्रक्टर	470-15-575-ई० बी०-15-650-17-701-ई० बी०-17-735।
50. ब्लीचिंग ड्राइंग और कैलिको प्रिंटिंग इन्सट्रक्टर	470-15-575-ई० बी०-15-650-17-701-ई० बी०-17-735।
51. पेन्सिल मेकिंग इन्सट्रक्टर	470-15-575-ई० बी०-15-650-17-701-ई० बी०-17-735।
52. फार्म क्लर्क	354-10-424-ई० बी०-10-454-12-514-ई० बी० -12-550।
53. सफाई निरीक्षक	470-15-575-ई० बी०-15-650-17-701-ई० बी०-17-735।
54. मैकेनिक-कम-सुपरवाइजर	354-10-424-ई० बी०-10-454-12-514-ई० बी० -12-550।
55. विक्रकलीन इन्सट्रक्टर	400-10-450-12-474-ई० बी०-12-570-ई० बी०-15-615।

22. दक्षता वर्जन पार करने का आधार—(1) टेन्ट फैक्ट्री फोरमैन का पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति—

(i) प्रथम दक्षता वर्जन जब तक कि उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक न हो और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न हो;

(ii) द्वितीय दक्षता वर्जन जब तक कि वह तकनीकि सुधार दर्शित नहीं करता और उत्पादन वृद्धि में हित नहीं रखता और जब तक उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित नहीं है पार करने के अनुज्ञात नहीं होंगे;

(2) टेन्ट फैक्ट्री के फोरमैन से अन्यथा पद धारण करने वाले व्यक्ति—

(i) प्रथम दक्षता वर्जन जब तक कि उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक नहीं पाया जाता है और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित नहीं है; और

(ii) द्वितीय दक्षता वर्जन जब तक कि उसका कार्य योग्यता पूर्ण नहीं है और सन्तोषजनक नहीं पाया जाता है और जब तक उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित नहीं है, पार करने के लिए अनुज्ञात नहीं होंगे।

भाग—VIII

अन्य उपबन्ध

23. कनवेसिंग—पदों को लागू होने वाले नियमों के अधीन जो कि अपेक्षित है लिखित अथवा मौखिक रूप में कोई भी अनुमोदन विचार में नहीं लिया जायेगा। अभ्यर्थी के कार्य का कोई भी प्रयत्न जो कि उसकी भर्ती को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थित करता हो उसकी नियुक्ति के लिए उसके अभ्यर्थन को अयोग्य करेगा।

24. अन्य मामलों का विनियमन—इन नियमों अथवा विशेष आदेशों से आच्छादित न होने वाले मामले में सेवा के लिए नियुक्त व्यक्ति राज्य के काम-काज सम्बन्ध सरकारी सेवकों के लागू होने वाले नियमों और विनियमों से शासित होंगे।

25. सेवा की शर्तों में छूट—जहाँ राज्य सरकार सन्तुष्ट है कि सेवा के लिए नियुक्त व्यक्ति की सेवा शर्तें किसी विशिष्ट मामले में असम्यक् कठिनाई उत्पन्न करती है, मामलों को लागू होने वाले नियमों में अन्तर्विष्ट होने पर भी मामलों में न्याय और साम्यपूर्ण आचरण के लिए नियमों की ऐसी अपेक्षाओं से ऐसे विस्तार तक जैसा वह आवश्यक समझे अभिमुक्ति अथवा छूट प्रदान कर सकेगी।

26. व्यावृत्तियाँ—इन नियमों की कोई भी चीज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य वर्गों के अभ्यर्थियों के आरक्षण और अपेक्षित अन्य छूटों को प्रभावित नहीं करेगी।

परिशिष्ट

नियम 4(2) देखें

मंजूर की गयी क्षमता

	पद का नाम	स्थायी	अस्थायी	योग	नियुक्ति अधिकारी
	1	2	3	4	5
(1)	मुख्य अध्यापक	9	1	10	उ० प्र० कारागार के उपमहानिरीक्षक
(2)	अध्यापक	60	2	62	" " "
(3)	ट्यूबवेल आपरेटर	5	6	11	" " "
(4)	पम्प आपरेटर	3		3	उ० प्र० कारागार फैक्ट्री के निदेशक

1	2	3	4	5
(5) एग्रीकल्चर सुपरवाइजर	11	—	11	उ० प्र० कारागार के उपमहानिरीक्षक
(6) अम्बर चर्खा इन्सट्रक्टर	11	—	11	उ० प्र० जेल फैक्ट्री के निदेशक
(7) इलेक्ट्रिक ड्राइवेन-वीविंग मशीन मैकेनिक	2	1	3	उ० प्र० फैक्ट्री के निदेशक
(8) टेलर मास्टर	5	—	5	" " "
(9) टेलर	1	—	1	" " "
(10) डाईंग इन्सट्रक्टर	2	1	3	" " "
(11) पेरीपेटिक डाईंग इन्सट्रक्टर	1	—	1	" " "
(12) वीविंग इन्सट्रक्टर	6	—	6	" " "
(13) पेरीपेटिक वीविंग इन्सट्रक्टर	2	—	2	" " "
(14) ब्लैंकेट वीविंग मास्टर	2	—	2	" " "
(15) पेरीपेटिक दुयुरी इन्सट्रक्टर	1	—	1	" " "
(16) कारपेन्टरी इन्सट्रक्टर	4	1	5	" " "
(17) ब्लैकस्मिथी इन्सट्रक्टर	1	1	2	" " "
(18) लेदर वर्क इन्सट्रक्टर	3	—	3	" " "
(19) आयल मिल मैकेनिक	1	—	1	" " "
(20) टेक्ट फैक्ट्री फोरमैन	1	—	1	" " "
(21) मोटर ड्राइवर (भारी और हल्के वाहन)	6	6	12	उ० प्र० कारागार के उप महानिरीक्षक
(22) लैकुअर वर्क इन्सट्रक्टर	1	—	1	उ० प्र० जेल फैक्ट्री के निदेशक
(23) फोरमैन ट्रैक्टर वर्कशाप	1	—	1	उ० प्र० कारागार के महानिरीक्षक
(24) पोलिशर	2	—	3	उ० प्र० जेल फैक्ट्री के निदेशक
(25) बैण्ड मास्टर	3	—	3	उ० प्र० कारागार के उप महानिरीक्षक
(26) पी० टी० इन्सट्रक्टर	1	—	1	" " "

1	2	3	4	5
(27) लाइब्रेरियन	1	—	1	उ० प्र० कारागार के उप महानिरीक्षक
(28) केन इन्सट्रक्टर	2	—	2	उ० प्र० जेल फैक्ट्री के निदेशक
(29) ट्रैक्टर मैकेनिक श्रेणी-I	f*	1	1	उ० प्र० जेल फैक्ट्री के निदेशक
(30) ट्रैक्टर मैकेनिक श्रेणी-II	—	1	1	उ० प्र० कारागार के महानिरीक्षक
(31) कृषि निरीक्षक श्रेणी I	—	1	1	" " "
(32) कृषि निरीक्षक श्रेणी-II	—	1	1	" " "
(33) टेलरिंग निटिंग इन्सट्रक्टर	1	—	1	उ० प्र० जेल फैक्ट्री के निर्देशक
(34) कार्पेट वीविंग इन्सट्रक्टर	1	—	1	" " "
(35) जनरल मैकेनिक	—	1	1	उ० प्र० कारागार के महानिरीक्षक
(36) टेलीफोन आपरेटर	—	4	4	" " "
(37) स्टेवार्ड	1	—	1	उ० प्र० कारागार के उप महानिरीक्षक
(38) बैण्ड साइन्स ट्रक्टर	2	—	2	उ० प्र० जेल फैक्ट्री के निर्देशक
(39) पावर लूम मैकेनिक	2	—	2	" " "
(40) पेरीपेटिक मैकेनिक-कम-सुपरवाइजर फ्लोर मिल	1	—	1	" " "
(41) वूल स्पीनिंग मास्टर	1	—	1	" " "
(42) स्पीनिंग मास्टर	1	—	1	उ० प्र० जेल फैक्ट्री के निर्देशक
(43) मशीन इन्सट्रक्टर	1	—	1	उ० प्र० जेल फैक्ट्री के निर्देशक
(44) अम्बर वीविंग इन्सट्रक्टर	1	—	1	" " "

1	2	3	4	5
(45) हैण्ड मेड पेपर इन्सट्रक्टर	1	—	1	" " "
(46) ट्रैक्टर ड्राइवर	2	23	25	उ० प्र० कारागार के उप महानिरीक्षक
(47) सोप और फिनायल इन्सट्रक्टर	1	—	1	उ० प्र० जेल फैक्ट्री के निदेशक
(48) प्लम्बरिंग इन्सट्रक्टर	1	—	1	" " "
(49) खेल सामानें इन्सट्रक्टर	1	—	1	" " "
(50) ब्लीचिंग, ड्राइंग और कैलिको प्रिंटिंग इन्सट्रक्टर	1	—	1	" " "
(51) पेन्सिल मैकेनिक इन्सट्रक्टर	1	—	1	" " "
(52) फार्म क्लर्क	5	—	5	उ० प्र० कारागार के महानिरीक्षक
(53) सफाई इन्सपेक्टर	1	1	2	" " "
(54) मैकेनिक-कम सुपरवाइजर	1	—	1	" " "
(55) विक्रक्लीन इन्सट्रक्टर	—	1	1	उ० प्र० कारागार के महानिरीक्षक।